जिला परिषद, सिवान।

पत्रांक 160/जि०प०,

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव,
नियोजन समिति, जिला परिषद, सिवान।

सेवा में,

जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी,
सिवान।

सिवान, दिनांक 19.08.2021/

विषयः– जिला परिषद माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक नियोजन, 2019 के तहत छठे चरण के नियोजन हेतु पुनः प्राप्त रोस्टर को जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

प्रसंगः– उप सचिव, शिक्षा विभाग,बिहार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–1228/पटना, दिनांक–29.07.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंग के संदर्भ में अंकित करना है कि जिला परिषद माध्यमिक/ उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक नियोजन, 2019 छठे चरण के तहत पुनः माध्यमिक विद्यालयों में नियोजन हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–772 सिवान, दिनांक–18.08.2021 के आलोक में कृपया आवश्यक कार्रवाई की जाय। साथ ही **उप सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–1228/पटना, दिनांक–29.07.2021 के परिपेक्ष्य में रोस्टर से संबंधित आम सूचना की Hard एवं Soft कॉपी संलग्न कर भेजा जा रहा है।**

अतः अनुरोध है कि इसे **जिले के वेबसाईट पर अपलोड** करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
19/8/21

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव,
नियोजन समिति, जिला परिषद, सिवान।

2
19.8.2021

जिला परिषद, सिवान।

*** आम सूचना ***

उप सचिव, शिक्षा विभाग,बिहार पटना के अधिसूचना ज्ञापांक–11/नियोजन 02–01/2019–1228/पटना, दिनांक–29.07.2021 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में बिहार जिला परिषद माध्यमिक/उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2006 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 6(i) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर छठे चरण के शिक्षको के नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभागीय अधिसूचना संख्या–1142 दिनांक–01.07.2019 के द्वारा किया गया।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के उक्त न्यायादेश के अनुपालन विभागीय अधिसूचना संख्या–910 दिनांक–02.07.2021 द्वारा निर्गत नियोजन संबंधित गतिविधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित करते हुए विभागीय अधिसूचना–1142 दिनांक–01.07.2019 द्वारा प्रारंभ किए गए छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के नियोजन की प्रक्रिया को निम्नरूपेण निर्धारित किया गया है।

जो निम्नवत है :–

क्रमांक	नियोजन संबंधित गतिविधि	तिथि
1	आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि	18.08.2021 से 17.09.2021 तक
2	औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी	18.09.2021 से 29.09.2021 तक
3	औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	05.10.201 तक
4	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	08.10.201 तक
5	औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति	11.10.201 से 03.11.2021 तक
6	आपत्तियों का निराकरण	19.11.2021 तक
7	आपत्तियों का निराकरण का मेधा सूची का प्रकाशन	22.11.2021 तक
8	जिला परिषद के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्र का मिलान/जाँच	29.11.2021 तक
9	उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्र के मिलान/ जाँच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद द्वारा अनुमोदन	02.12.2021 तक
10	नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनीकरण	06.12.2021 तक
11	अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के NIC के वेबसाईट पर प्रकाशन	10.12.2021 तक

नोट :– नियोजन संबंधित उक्त गतिविधि पूर्ण होने के उपरान्त जिलास्तर पर नियोजन इकाई द्वारा काउंसिलिंग के माध्यम से नियोजन पत्र वितरण हेतु तिथि का निर्धारण अलग से किया जायेगा।

इच्छुक सभी संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऊपर अंकित तिथि के अन्तर्गत जिला परिषद, सिवान में आवेदन–पत्र हाथों–हाथ जमा किया जा सकता है अथवा निबंधित डाक द्वारा भेजा जा सकता है। अन्य कार्रवाई ऊपर अंकित तालिका अनुसार सम्पन्न होगा।

19/8/21

उप विकास आयुक्त–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव,
नियोजन समिति,जिला परिषद, सिवान।

19.8.2021